

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2025/288

रीवा दिनांक : 17-4-2025

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

पं. रामगोपाल तिवारी तकनीकी एवं विज्ञान महाविद्यालय

अनूपपुर (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2024-2025 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27-11-2024 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण के आइटम क्रमांक 5(10) की अनुशंसा एवं माननीय कुलगुरु जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार पत्र क्रमांक/विकास/2025/208 दिनांक 28-03-2025 में आंशिक संशोधन करते हुए आपके महाविद्यालय को सत्र 2024-2025 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष – समस्त अनिवार्य विषय-60-60सीट।
2	एम.एस.डब्लू. पूर्वार्द्ध/उत्तरार्द्ध-100सीट।
3	बी.ए. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, अर्थशास्त्र, हिन्दी, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर एप्लीकेशन-60+60सीट।
4	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष आधार पाठ्यक्रम, बाटनी, जुलाजी, कमेस्ट्री-50+50सीट।
5	एलएल.बी. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम, द्वितीय वर्ष-120 सीट (बी.सी.आई. द्वारा प्रदत्त)।

नोट –

1. कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति करें।
2. NEP के अनुसार पुस्तकों की संख्या में आवश्यक सुधार करें।
3. बार काउन्सिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त होने के पश्चात् ही छात्रों को प्रवेश दें।

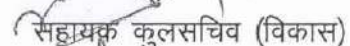
उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2025-2026 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
2. सहायक कुलसचिव-परीक्षा, गोपनीय।
3. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
5. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।


सहायक कुलसचिव (विकास)